न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ. सौम्या झा,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 03 / 2017
प्रविष्टि दिनांक 24.07.2017

सौभागमल शर्मा पुत्र नन्दलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी मण्डावर तहसील व जिला टोंक राज0

—प्रार्थी

बनाम

1—सत्यनारायण पुत्र दामोदर शर्मा जाति ब्राहमण निवासी मण्डावर तहसील व जिला टोक
2—ग्राम पंचायत मण्डावर तहसील टोंक जरिये सरपंच
3—ग्राम पंचायत मण्डावर तहसील टोंक जरिये सचिव
4—विकास अधिकारी पंचायत समिति टोक जिला टोंक

—प्रतिपक्षीगण

रिवीजन विरूद्व पट्टा (आदेश) विलेख ग्राम पंचायत मण्डावर दिनांक 27.11.2009 बहक विपक्षी संख्या 1 सत्यनारायण शर्मा अर्न्तगत पंचायत राज अधिनियम धारा 97

उपस्थिति : (1) श्री बनवारी लाल शर्मा,अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री विनोद गुप्ता,अभिभाषक प्रतिपक्षी संख्या 1

निर्णय **दिनांक 26.12.2024**

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र निगरानी का सार इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत मण्डावर पंचायत समिति टोंक द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे दिनांक 27.11.2009 को आबादी भूमि का विक्रय—विलेख(पट्टा) वाके ग्राम मण्डावर मे 143.11 वर्गगज भूमि का जारी किया है। निगरानीकर्ता ने सरपंच ग्राम पंचायत मण्डावर के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी प्रतिपक्षी जरिए सम्मन की गई एंव ग्राम पंचायत मण्डावर से पट्टे की पत्रावली तलब की गई। ग्राम पंचायत मण्डावर द्वारा जारी पट्टा दिनांक 25.11.1987 की पत्रावली तलब करने पर ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मण्डावर पंचायत समिति टोंक ने दिनांक 12.11.2024 से अवगत करवाया है कि उक्त पट्टे की पत्रावली रिकार्ड मे मौजूद नही है। प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमि. एक्ट पर अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अभिभाषकगण की प्रकरण मे अन्तिम बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिपक्षी संख्या 1 ने प्रतिपक्षी संख्या 2 व 3 के यहां पर झूठे तथ्य

बताकर दिनांक 27.11.2009 को पट्टा प्राप्त किया है। प्रतिपक्षी संख्या 1 ने उक्त पट्टा बिना कब्जे के झूठे तथ्य बताकर पंचायत द्वारा प्राप्त किया गया है। ग्राम पंचायत मण्डावर द्वारा निगरानीकर्ता के हक मे दिनांक 25.11.1987 को उक्त भूमि का पट्टा विलेख मिसल नम्बर 9 पट्टा संख्या 2 कुल 2541 वर्गफीट का जारी किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा अपने हक मे पट्टा जारी होने के उपरान्त नियमानुसार उक्त भूखण्ड पर मकान निर्माण हेतु साईट प्लान बनवाकर उस निर्माण की स्वीकृति के लिए नक्शा भी ग्राम पंचायत के समक्ष पेश करने पर ग्राम पंचायत ने नक्शा को अनुमोदित किया। उक्त भूमि पर निगरानीकर्ता पट्टा जारी करने के समय से काबिज चला आ रहा है। निगरानीकर्ता ने उक्त पट्टा विलेख के भूखण्ड पर मकान तामीर करवाने के लिए अपने विभाग भारत संचार निगम टोंक से अपने उक्त पट्टे को बंधक रखते हुए ऋण प्राप्त करके इस भूखण्ड पर पुख्ता मकान निर्माण करवाया है। निगरानीकर्ता ने उक्त भूखण्ड मे मकान का निर्माण अपने दो पुत्र होने के कारण दो समान हिस्सो मे स्वीकृति लेकर तामीर करवाया था। निगरानीकर्ता के पुत्र टोक मे निवास करते है तथा सत्यनारायण के पास रिहायशी मकान नही होने के कारण वर्ष 2009 मे रहवास हेतु इजाजती कब्जा उसे दिया गया था। प्रतिपक्षी संख्या 1 के मन मे बेईमानी आने के कारण उसने ग्राम पंचायत के समक्ष गलत व मिथ्या तथ्य प्रस्तुत कर निगरानीकर्ता के कब्जे शुदा मकान का पट्टा पुनः ग्राम पंचायत से साजिश करके जारी करवा लिया है। ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 के हक मे उक्त पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व निगरानीकर्ता को कोई नोटिस अथवा सूचना नही दी गई है और न ही पट्टा जारी करने से पूर्व मौके का निरीक्षण किया गया है। ग्राम पंचायत ने अपने रिकार्ड का अवलोकन भी नही किया है।निगरानीकर्ता अपने पट्टा शुदा भूखण्ड व उस पर निर्मित मकान पर सन् 1987 से शान्तिपूर्वक काबिज चला आ रहा था, अभी कुछ दिनो पूर्व निगरानीकर्ता को अपने मकान कर आवश्यकता होने पर विपक्षी संख्या 1 को उसका मकान खाली करने के लिए कहने पर विपक्षी ने जानकारी दी की यह मकान तो उसका है,उसके हक मे पंचायत से पट्टा भी जारी हो रखा है। ग्राम पंचायत ने बिना जांच व बिना भौतिक कब्जे के चुपचाप प्रतिपक्षी संख्या 1 से मिली भगत करके ग्राम पंचायत का पूर्ण कोरम का प्रस्ताव लिये बिना व पट्टे मे किसी का उल्लेख किये बिना चुपचाप जारी किया है,जारी किया गया पट्टा फर्जी व बनावटी है,क्योकि प्रतिपक्षी संख्या 1 का आज तक भी उक्त भू–खण्ड पर कब्जा नही है और उसका स्वामित्व या किसी प्रकार का संबंध नही है। ग्राम पंचायत ने नियमो के विपरित जाकर उक्त पट्टा जारी किया है। अतः ग्राम पंचायत मण्डावर द्वारा जारी पट्टा दिनांक 27.11.2009 को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

विद्वान अभिभाषक प्रतिपक्षी संख्या 1 ने जवाबी बहस मे लिखित बहस पेश कर निवदेन किया कि ग्राम पंचायत मण्डावर द्वारा प्रतिपक्षी नं.1 के पक्ष मे दिनांक 27.11.2009 को कुल 143.11 वर्गगज का आबादी भूमि का पट्टा जारी किया गया है। पट्टा विलेख को कानूनी रूप से सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। धारा 97 के तहत किसी आदेश या विनिश्चय के विरूद्व रिवीजन प्रस्तुत करने की मियाद आदेश या निर्देश की तारीख से 90 दिन विहित की गई है। निगरानीकर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र मे यह अंकित किया है कि उसका इस मकान पर शान्ति पूर्वक कब्जा चला आ रहा है और बाद मे यह अंकित किया है कि उसको मकान की आवश्यकता होने के कारण उसने प्रतिपक्षी संख्या 1 को मकान खाली करने के लिए कहां और तब विपक्षी संख्या 1 ने मकान खाली

करने के लिए मना कर दिया और कहां कि मेरे हक मे पट्टा जारी हो रखा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता का इस मकान पर कब्जा ही नही है। वास्तविकता यह है कि उक्त सम्पूर्ण मकान श्योनारायण के समय से बना हुआ है। निगरानीकर्ता के पिता नन्दराम व विपक्षी सं. 1 के पिता दामोदर ने अपने जीवनकाल मे ही उक्त भूखण्ड को आधा–आधा बांट लिया एंव दामोदर के जीवनकाल मे ही इस आधे हिस्से का पट्टा विपक्षी सं. 1 के नाम बनवा लिया था। निगरानीकर्ता एंव विपक्षी संख्या 1 अपने–अपने हिस्से के मकान पर बुजुर्गो के समय से ही निवास करते चले आ रहे। निगरानी कानूनन चलने योग्य नहीं है। ग्राम पंचायत मण्डावर द्वारा विधिक प्रकिया अपनाये जाकर पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानी निरस्त योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक निगरानीकर्ता कि बहस एंव अभिभाषक प्रतिपक्षी संख्या 1 की लिखित बहस पर मनन किया तथा पट्टे से संबंधित पत्रावली का गहन अध्ययन किया। ग्राम पंचायत मण्डावर पंचायत समिति टोंक द्वारा राजस्थान पंचायत राज 1994(राज. अधिनियम सं.13 वर्ष 1994) धारा 9 के अधीन स्थापित है के तहत आबादी भूमि का विक्रय–विलेख (पट्टा) दिनांक 27.11.2009 को जारी किया गया है,जिसका माप पूर्व से पश्चिम 28 फीट व उत्तर से दक्षिण मे 46 कुल क्षेत्रफल 143.11 वर्गगज सत्यनारायण पुत्र दामोदर शर्मा जाति ब्राहमण निवासी मण्डावर के हक मे जारी किया गया है।

अभिभाषक प्रतिपक्षी संख्या–1 का कथन है ग्राम पंचायत मण्डावर द्वारा निगरानीकर्ता के हक मे दिनांक 25.11.1987 को उक्त भूमि का पट्टा विलेख मिसल नम्बर 9 पट्टा संख्या 2 कुल 2541 वर्गफीट का जारी किया गया है। उक्त भूमि पर निगरानीकर्ता पट्टा जारी करने के समय से काबिज चला आ रहा है। निगरानीकर्ता ने उक्त पट्टा विलेख के भूखण्ड पर मकान तामीर करवाने के लिए अपने विभाग भारत संचार निगम टोंक से अपने उक्त पट्टे को बंधक रखते हुए ऋण प्राप्त करके इस भूखण्ड पर पुख्ता मकान निर्माण करवाया है। सत्यनारायण के पास रिहायशी मकान नही होने के कारण वर्ष 2009 मे रहवास हेतु इजाजती कब्जा उसे दिया गया था,परन्तु अभिभाषक प्रतिपक्षी संख्या 1 ने अपनी लिखित बहस मे ग्राम पंचायत मण्डावर द्वारा प्रतिपक्षी नं.1 के पक्ष मे दिनांक 27.11.2009 को कुल 143.11 वर्गगज का आबादी भूमि का पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकर्ता के पिता नन्दराम व विपक्षी सं. 1 के पिता दामोदर ने अपने जीवनकाल मे ही उक्त भूखण्ड को आधा–आधा बांट लिया एंव दामोदर के जीवनकाल मे ही इस आधे हिस्से का पट्टा विपक्षी सं.1 के नाम बनवा लिया था। निगरानीकर्ता एंव विपक्षी संख्या 1 अपने–अपने हिस्से के मकान पर बुजुर्गो के समय से ही निवास करते चले आ रहे का उल्लेख किया है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत मण्डावर पंचायत समिति टोंक द्वारा दिनांक 27.11.2009 को प्रतिपक्षी संख्या–1 के हक मे पट्टा जारी करने से पूर्व मौके का वास्तविक निरीक्षण नही किया गया है। पक्षकारान उक्त भू–खण्ड पर अपना–अपना हिस्सा बता रहे है। ऐसी स्थिति मे सरपंच ग्राम पंचायत मण्डावर पंचायत समिति टोंक द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत मण्डावर पंचायत समिति टोंक द्वारा दिनांक 27.11.2009 को प्रतिपक्षी संख्या–1 के हक मे जारी किये गये पट्टे को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण सरपंच ग्राम पंचायत मण्डावर पंचायत समिति

टोंक जिला टोंक को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारो की विधिवत सुनवाई कर, दस्तावेजात की जांच कर अपने–अपने हिस्से अनुसार पुनः नियमानुसार पट्टा जारी करे।

निर्णय आज दिनाक 26.12.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोक